इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]　　भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

घोषणा

(नियम-6)

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. एफ. 21-01-2013-एक-10.—यत:, यह अभिकथित किया गया है कि श्री अरविंद जोशी एवं श्रीमती टीनू जोशी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन (निलंबित) ने मध्यप्रदेश राज्य में तत्कालीन प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) ई, 13 (2) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 102/2010 धारा 13(1) ई, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 सन् 2010-11 को मामलों का अन्वेषण किया गया है;

और, यत:, अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री अरविंद जोशी एवं श्रीमती टीनू जोशी, पर जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्ट्या प्रकरण बनता है;

और, यत:, राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अपराधी पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

स्थान : भोपाल
तारीख 18 मार्च 2013.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.